आर.ई.ओ. 50

जोधपुर
विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अअ–पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रै० 146 दिनांक 23.4.03

आदेश

विषयः– चोरी करते पाये जाने वाले कृषकों को फार्म हाउस श्रेणी में कनेक्शन जारी करने के संम्बन्ध में।

पूर्व में निगम के आदेश क्रंमाक जोधपुर डिस्कॉम/अअ--पीपीएण्डएम/फा0 सामान्य शाखा/प्रै0 612 जोधपुर दिनांक 20.6.2002 (आर.ई.ओ.20) के अनुसार जिन कृषकों द्वारा अनाधिकृत विद्युत उपभोग किये जाने पर विजिलेंस रिपोर्ट दिनांक 31.3.2002 तक दर्ज की जा चुकी है, उनमें से यदि कोई कृषक कनेक्शन लेना चाहे , तो उन्हें स्पेशल स्कीम में कनेक्शन एक कम्पाउडिंग राशि जमा करवाने के पश्चात् एंव स्पेशल श्रेणी में आवेदन के बाद जारी करने का प्रावधान था।

अब चूंकि स्पेशल स्कीम बन्द हो गई है अतः इस सम्बन्ध में समन्वय समिति की 54 वीं बैठक दिनांक 19.3.2003 में निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में चोरी करते पाये जाने वाले कृषकों को क्षतिपूर्ति (समझौता) राशि जमा कराने के पश्चात् फार्म हाउस श्रेणी में आवेदन प्राप्त होने पर कनेक्शन जारी किये जावें।

फार्म हाउस श्रेणी में नियमित कनेक्शन वर्तमान प्रचलित प्रक्रिया के तहत जारी रहेंगें।

(ए.एम.लोढा)
अधीक्षण अभियन्ता (पी.पी.एण्ड.एम)
जोधपुर डिस्कॉम,जोधपुर।